EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The Indian film, broadcast, cable industry, the entire entertainment stakeholders including the OTT players, social media platforms and allied segments are in for a major upheaval. The seismic vibrations caused by the Govt's blitzkrieg of proposed comprehensive overhaul of Communication and Media Regulation is being felt across the entire ecosystem. While we can argue about the merits and demerits of the proposed changes in the various policies, one cannot overlook the fact that ***CHANGE*** *is now inevitable. As the Covid 19 pandemic brings about a complete transformation in the way we live and approach business, the entertainment business is also seeing a whole lot of changes, going forward.*

The recent Bombay High Court judgement upheld the NTO 2.0 proposed by TRAI with some modifications and conditions. The conditions highlighted that i) the sum of the a-la-carte rates of the pay channels (MRP) forming part of a bouquet shall in no case exceed one and half times the rate of the bouquet of which such pay channels are a part; and ii) the a-la-carte rates of each pay channel (MRP), forming part of a bouquet, shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of the bouquet of which such pay channel is a part.

The broadcasters had fought hard and implored the court to remove the amended tariff order and sought a stay on the NTO 2.0 contending that the TRAI has sought to overhaul the entire method and manner in which broadcasters conduct their business. Now what remains to be seen how soon, either the broadcasters or TRAI goes for an appeal against this order. The court has given 6 months grace period for the implementation of this order.

When the NTO 2.0 was announced in 2020, it was not implemented by major Cable TV operators initially. The DTH operators implemented NTO 2.0 within the specified timeframe, Subsequently Hathway and Den also followed suit and implemented the order. Some of the Cable TV operators had challenged the order in local courts.

It remains to be seen how this battle unfolds in the coming months. Stay tuned for further developments.

(Manoj Kumar Madhavan)

भारतीय फिल्म, प्रसारण, केबल उद्योग, ओटीटी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संबद्ध क्षेत्रों सहित संपूर्ण मनोरंजन हितधारक एक बड़ी उथल-पुथल में हैं। संचार और मीडिया विनियमन के प्रस्तावित व्यापक परिवर्तन के सरकार के तूफानी कदम के कारण भूकंपीय कंपन को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में महसूस किया जा रहा है। हालांकि हम विभिन्न नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तनों के गुण और दोषों के बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ***परिवर्तन*** *अब बेहद आवश्यक है। जैसाकि कोविड* ***19*** *महामारी हमारे जीने और व्यापार करने के तरीके में एक पूर्ण परिवर्तन लाता है, मनोरंजन व्यवसाय में भी आगे चलकर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाला है।*

हालही में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने कुछ संशोधनों और शर्तों के साथ ट्राई द्वारा प्रस्तावित एनटीओ ***2.0*** *को बरकार रखा है। शर्तें इस बात का उल्लेख करती हैं कि* ***1****) पे चैनलों (एमआरपी) के बुके का हिस्सा बनने वाले अ-ला-कार्टे दरों का योग किसी भी मामले में उस बुके के दर के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसका ऐसा पे चैनल एक हिस्सा है, और* ***2****) बुके का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक पे चैनल (एमआरपी) की अ-ला-कार्ट दर किसी भी मामले में उस बुके के पे चैनल की औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होगी, जिसका ऐसा पे चैनल एक हिस्सा है।*

प्रसारकों ने कड़ी लड़ाई लड़ी थी और संशोधित टैरिफ आदेश को बदलने के लिए कोर्ट से गुहार लगायी थी और एनटीओ ***2.0*** *पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि ट्राई ने प्रसारकों के कारोबार के पूरे तरीके और तरीके को बदलने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस आदेश के खिलाफ कितनी जल्दी या तो प्रसारक या ट्राई अपील के लिए जाते हैं। कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए* ***6*** *महीन की छूट की अवधि प्रदान की है।*

जब ***2020*** *में एनटीओ* ***2.0*** *की घोषणा की गयी थी, तब इसे प्रमुख केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा शुरू में लागू नहीं किया गया था। डीटीएच ऑपरेटरों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एनटीओ* ***2.0*** *को लागू किया, इसके बाद हैथवे और डेन ने भी इसका पालन किया और आदेश को लागू किया। कुछ केबल टीवी ऑपरेटरों ने इस आदेश को स्थानीय अदालतों में चुनौती दी थी।*

देखना होगा कि आने वाले महीनें में यह लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। आगे की घटनाक्रम की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

(Manoj Kumar Madhavan)